

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

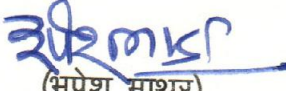
क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2347/2013)/अलेसे-III/1089

दिनांक:- 05-10-21

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)/आर-2347/2013/अलेसे-III/6196 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये निलम्बन काल में उनके वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

चूँकि श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बित हुये 6 माह का समय पूर्ण हो चुका है। अतः राजस्थान सेवा नियम 53 (1) के अन्तर्गत इन्हें मिल रहे निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2347/2013)/अलेसे-III/1089

दिनांक:- 05-10-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)।
3. श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार निलम्बन मुख्यालय कोषालय, जयपुर (ग्रामीण)।
4. निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)